नोटिस बोर्ड के माध्यम से

पत्र संख्या–आई0एम0सी0/मु0/2020–21/ 7/6/2021047/वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,
(आई0एम0सी0)
लखनऊ::दिनांक:: 19 फरवरी 2021

समस्त
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1/
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(वि0अनु0शा0)
ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्य0/वि0अनु0शा0/कार्पोरेट)
डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर
वाणिज्य कर अधिकारी,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय–प्रवर्तन सूचनाओं के आदान–प्रदान एवं बोगस/अस्तित्वहीन फर्मो की अनुवर्ती फर्मो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

कृपया मुख्यालय के वि0अनु0शा0 अनुभाग के परिपत्र संख्या–वि0अनु0शा0–2020–21/735/कम्प्यूटरपरि0सं0–2021018/वाणिज्य कर/वि0अनु0शा0 अनुभाग/ लखनऊ दिनांक 22.09.2020 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अस्तित्वहीन/बोगस व्यापारियों द्वारा माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना जारी की गयी टैक्स इनवाइस के सम्बन्ध में क्रेता व्यापारियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु सूचनाओं के त्वरित आदान–प्रदान एवं प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही की मानीटरिंग के उद्देश्य से विभागीय मॉड्यूल पर "Enforcement Alert System" विकसित किया गया है।

उक्त के क्रम में मुख्यालय स्तर पर समीक्षा करने पर पाया गया कि वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा अस्तित्वहीन/बोगस फर्मों की जांच के फलस्वरूप अनुवर्ती फर्मों के विरूद्ध कार्यवाही की सूचनाओं का अदान–प्रदान विभागीय मॉड्यूल पर विकसित "Enforcement Alert System" से न करके मैनुअली की जा रही है। इससे सूचनाओं के संकलन व मॉनीटरिंग में असुविधा एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के साथ–साथ अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।

अतः अपेक्षित है कि खण्ड अथवा प्रवर्तन इकाइयों द्वारा जांच में प्रदेश की किसी फर्म के अस्तित्वहीन/बोगस पाये जाने पर अपेक्षित अनुवर्ती फर्मों के विरूद्ध अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु सूचनाओं का आदान–प्रदान "Enforcement Alert System" मॉड्यूल से किया जाये, ताकि श्रम व समय व्यर्थता की स्थिति से बचने के साथ ही रिपोर्ट मॉड्यूल पर उपलब्ध हो सके।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

19/02/2021

(प्रदीप कुमार)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (आई0एम0सी0)
वाणिज्य कर, मुख्यालय।